

सेवा में,

श्रीमती मीरा अय्यर,
(प्रथम अपीलीय अधिकारी),
भारतीय वन सर्वेक्षण,
कौलागढ रोड, पो.आ.-आई.पी.ई
देहरादून 248195

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अनुसार सूचना प्रदान करवाने बारे।
संदर्भ:- पत्र संख्या 13-1/2023-RTI 2416 दिनांक 26.09.2023 ।

महोदया,

उपरोक्त विषय तथा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके ध्यान में लाया जाता है कि आपके कार्यालय से प्रेषित संदर्भित पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जिसमें कि आपके कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हुई है वे दिनांक 20.12.2022 को Email ID dgfsi@fsi.nic.in पर प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रतियां हैं, जबकि प्रार्थी ने अधिनियम 2005 के माध्यम से दिनांक 03.06.2022 को Email ID dgfsi@fsi.nic.in पर अपनी नौकरी के बारे में प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रति को मांगा है।

अतः महोदया जी, उक्त संदर्भित पत्र में सूचना के जवाब का पूनः अवलोकन करके दिनांक 03.06.2022 को मेल के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रति को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

दिनांक:- 05/10/2023

श्री देवी सिंह ; DD (FCM I) /
RTI Cell.
9/10/23

भवदीय,

(हेमंत कुमार)

गांव कमयाणा पो.आ. पोआबो
तहसील व जिला शिमला
हि.प्र. 171006
मो. 70186-56341

संख्या-13-16 / 2022-आर.टी.आई 2782
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पे0ऑ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

दिनांक अक्टूबर, 2023

1/11

सेवा में,


Shri Hemant Kumar
Village- Kamyana, P.O.- Poabo,
Tehsil and Distt- Shimla,
Himachal Pradesh-171006,
Mobile No-7018656341

Sub:- First Appeal Application under The RTI Act, 2005.


महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा दायर की गई प्रथम अपील आवेदन दिनांक 05.10.2023 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संबंधित संशोधित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रेषित किया जा रहा है।
अतः अपील निस्तारित की जाती है।

भवदीया,


(आनिल कुमार)

प्रथम अपीलीय अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून-248195
फ़ोन नंबर: 01352755037


1/11/23


1/11/23

Time Bound/Urgent/RTI Matter

संख्या-13-1/2023-आर.टी.आई-2759
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पे0ऑ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195


दिनांक: 30 अक्टूबर, 2023

सेवा में,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
भारतीय वन सर्वेक्षण
मुख्यालय, देहरादून

विषय: First Appeal Application under the Right to Information Act, 2005.

महोदया,
उपरोक्त विषय पर आपके पत्रांक 13-16/2022-आर.टी.आई.-2558 दिनांक 10.10.2023 के संदर्भ में Sh. Hemant Kumar, Himachal Pradesh की प्रथम अपील दिनांक 05.10.2023 से संबंधित संशोधित सूचना संलग्न कर इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कमल पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी

AGC/RTI
RTI (cell)
Ms
30/10/23

भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ऑ0आई0पी0ई0-कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

सेवा में,


श्री हेमन्त कुमार,
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
भारतीय वन सर्वेक्षण
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी अंचल, शिमला।

विषय: नौकरी पर बहाल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 03 जून, 2022 के आपके ईमेल पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि आपने संदर्भित पत्र में अवगत कराया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ही कर्मचारियों को रखा जाता है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय शिमला का कोई योगदान नहीं है।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा जारी पत्राचार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस संबंध में आप संबंधित एजेन्सी से ही अपनी नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको पूर्व में भी पत्र संख्या 7-1/2012-प्रशा0-पार्ट-81, दिनांक 23.01.2023 द्वारा सूचित किया जा चुका है।



(मुद्रित अरविंद दत्त)

उप निदेशक (का0 एवं प्रशा0)

संख्या-9-2/2006(Building) Part-C -2728

(171)

भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ऑ0आई0पी0ई0-कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

सेवा में,

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023


श्री हेमन्त कुमार,
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
भारतीय वन सर्वेक्षण
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी अंचल, शिमला।

विषय: नौकरी पर बहाल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 03 जून, 2022 के आपके ईमेल पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि आपने संदर्भित पत्र में अवगत कराया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ही कर्मचारियों को रखा जाता है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय शिमला का कोई योगदान नहीं है।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा जारी पत्राचार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस संबंध में आप संबंधित एजेन्सी से ही अपनी नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको पूर्व में भी पत्र संख्या 7-1/2012-प्रशा0-पार्ट-81, दिनांक 23.01.2023 द्वारा सूचित किया जा चुका है।


(मुकुंद अरविंद दत्त)
उप निदेशक (का0 एवं प्रशा0)